

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम
 2. उस सेवा का नाम, जिसमें वह है
 3. वर्तमान धारित पद
 4. वर्तमान वेतन
 5. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख
 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा खीरे		वर्तमान मूल्य	यदि खरीद के नाम पर न हो तो बताइए कि यह किसका नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी सं संबंध है	उस किस प्रकार अधिभूत किया गया है और, पट्टा, कंठक, डिवाइज, केर या अन्य किसी प्रकार से सेवा करण की गई हो उसका नाम तथा खीरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभिलेखित	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
1		2	3	4	5	6	7	8
① Baram -	श्री एम एच एम	40x10	1.60 लाख	पारिवारिक	पारिवारिक			
② Baram -	228 - Baram	12x50	25 लाख	व्यक्तिगत	पेट्टा + अन्य			
③ Baram -	128x40 (14x7)	15m x 15m	15 लाख	व्यक्तिगत	व्यक्तिगत			

- 1- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 - 2- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 - 3- इसमें अत्यंतकीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी : म.प्र. शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिभूत अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या कंठक पर उसके द्वारा धारित संपत्ति अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर
 पदनाम
 नाम
 मो.न. 98275-79534